राजस्थान राज्य

बनाम

तेज राम और अन्य

19 मार्च, 1999

[के.टी. थॉमस और डी.पी. महापात्रा न्यायमूर्तिगण]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 32– मृत्यु पूर्व बयान – चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि मस्तिष्क की चोट के कारण घायल के मस्तिष्क के कार्य प्रभावित हुए हैं – अभिनिर्धारित भले ही घायल चोट लगने के बाद कुछ बोलने में सक्षम था, ऐसे मृत्यु पूर्व बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

धारा 27 और 45 – आरोपी के कथन के आधार पर हथियार की बरामदगी – बरामद कुल्हाड़ी खून से सनी मिली – एक कुल्हाड़ी पर खून मानव रक्त पाया गया – दूसरे कुल्हाड़ी पर खून सीरोलॉजिस्ट द्वारा सीरम के विघटन के कारण नहीं पाया जा सका – इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी कुल्हाड़ी पर लगा खून मानव रक्त नहीं होता – अभिनिर्धारित हथियार की बरामदगी निरर्थक नहीं होगी।

धारा 155, 14 – गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करना – तरीका – गवाह का विरोध करने के उद्देश्य से पूर्व कथन का उपयोग – यदि पूर्व कथन बाद में रिकॉर्ड पर आता है तो बचाव पक्ष गवाह को आगे की जिरह के लिए वापस बुलाने का अनुरोध कर सकता है।

धारा 3 – संभावित गवाहों की गवाही – इस आधार पर अस्वीकृति कि वे सभी मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई – अभिनिर्धारित उचित नहीं।

फौजदारी मुकदमा – दो भागों के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियाँ – गेट के संबंध में जिससे हमलावर अपराध करने के बाद बाहर गए – गवाहों का एक सेट कह रहा है कि यह पश्चिमी गेट था और दूसरा सेट कह रहा है कि यह पूर्वी गेट था, दोनों गेट एक ही घर के हैं और पास–पास स्थित हैं घटना रात के समय हुई – अभिनिर्धारित ऐसे गवाहों के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 :

धारा 162 (1) और (2) – जब्ती मेमो – उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करने की मनाही, जिसका बयान लिखित रूप में लिया गया है – तथ्यों पर, जांच अधिकारी ने जब्ती मेमो तैयार किया और आरोपी के हस्ताक्षर जब्ती मेमो पर प्राप्त किए – अभिनिर्धारित जब्ती या न्यायालय में ऐसे आरोपी की गवाही को अमान्य नहीं करता – इसके अलावा, धारा 162 (1) में निषेध साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होता है – साक्ष्य अधिनियम, धारा 27.

सत्र न्यायालय में दोहरे हत्याकांड में सात लोगों को हमलावरों के रूप में मुकदमे के लिए खड़ा किया गया था। विचारण न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज मृतक 'आर' और 'सी' के मृत्यु पूर्व बयानों पर भरोसा किया। इसने उन गवाहों की गवाही पर भी भरोसा किया जो घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि हमलावर कुल्हाड़ियों और लाठी से भाग रहे हैं और हथियारों की बरामदगी भी हुई है। उसने छह आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 149 के साथ– साथ अन्य संबद्ध अपराधों के तहत दोषी ठहराया। फिर प्रतिवादियों ने अपील दायर की। खंडपीठ दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसलिए यह अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित 1.1. उच्च न्यायालय मृत्यु पूर्व घोषणा पर कार्य नहीं करने में न्यायसंगत था। यदि घायल मस्तिष्क की चोट लगने के बाद कुछ बोलने में सक्षम है या कुछ बोलता भी है, तो ऐसे बयानों पर कोई भरोसा करना बेहद असुरक्षित है क्योंकि मस्तिष्क की चोटों के कारण घायल के मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होंगे।

1.2. जब सीरम के विघटन के कारण सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल रहता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि कुल्हाड़ी पर लगा खून मानव रक्त नहीं होगा और हथियार की बरामदगी से उत्पन्न परिस्थितियां निरर्थक नहीं होंगी।

इसलिए, उच्च न्यायालय कुल्हाड़ियों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य पर भरोसा नहीं करने में गलत था।

प्रभु बाबाजी बनाम बॉम्बे राज्य, ए.आई.आर. (1956) एस.सी. 51 और *राघव प्रपन्न त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, ए.आई.आर. (1963) एस.सी. 74, भिन्न ।

1.3. साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 (3) के तहत, गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के अनुमत तरीकों में से एक गवाह के विरोधाभास के उद्देश्य से पूर्व बयानों का प्रमाण है जो उसकी गवाही के किसी भी हिस्से के साथ असंगत है।

इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि बचाव पक्ष को 'एम' का सामना करने के लिए पूर्व बयान उपलब्ध नहीं था क्योंकि जिस हेड कांस्टेबल को पूर्व बयान दिया गया था, उसकी बाद में जांच की गई थी। इसलिए, बचाव पक्ष के लिए यह खुला था कि वह उस कथित पूर्व बयान के आधार पर उसकी सत्यता को प्रभावित करने के लिए आगे की जिरह के उद्देश्य से गवाहों को वापस बुलाने का अनुरोध करे, जो बाद में रिकॉर्ड पर आया ।

नबा कुमार दास बनाम रुद्र नारायण जाना, एआईआर (1923) पीसी 95 पर निर्भर किया गया।

1.4. ऐसे प्राकृतिक गवाहों को अनदेखा करना और बाहरी लोगों पर जोर देना जो कुछ भी नहीं देखते होंगे, अव्यवहारिक है। जब किसी आवास गृह में कोई घटना होती है तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के लोग होते हैं। यदि न्यायालय ने साक्ष्य से या यहां तक कि जांच रिकॉर्ड से यह पता लगाया है कि किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति ने घटना से जुड़ी किसी घटना को देखा है तो ऐसे व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में परीक्षण

नहीं करने के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने का औचित्य है। अन्यथा, केवल अनुमानों के आधार पर न्यायालय को अभियोजन पक्ष को अन्य व्यक्तियों की जांच नहीं करने के लिए दंडित नहीं करना चाहिए। अभियोजन पक्ष से केवल उन्हीं लोगों की जांच करने की अपेक्षा की जा सकती है जिन्होंने घटनाओं को देखा है और उन लोगों की नहीं जिन्होंने इसे नहीं देखा है, हालांकि पड़ोस में अन्य निवासी भी प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं।

1.5. उच्च न्यायालय के अनुसार दो सेट के गवाहों के बीच साक्ष्य में विसंगति बहुत बड़ा विरोधाभास था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के मूल को अनदेखा कर दिया और व्यापक संभावनाओं पर विचार किया। घटना के समय रात के गहरे घंटे थे और सोते हुए मोहल्ले में अपने ही नाते– रिश्तेदारों की मदद के लिए रोने की आवाज से सन्नाटा टूट गया जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका ध्यान पीड़ितों और भागते हुए हमलावरों की पहचान पर होगा कुछ हमलावर पूर्वी गेट से और कुछ पश्चिमी गेट से बाहर गए होंगे, क्योंकि दोनों गेट एक ही घर के हैं और पास–पास स्थित हैं। यह सबसे अधिक संभावना नहीं है कि जो कोई भी चीख या चिल्लाहट सुनकर मौके पर पहुंचे, ये सुनने के बाद भी वहीं रहेंगे। यह बेहद संभावना है कि गवाहों ने भागते हुए हमलावरों को ऐसे शोरगुल में देखा होगा और यदि कुछ गवाहों ने उस सटीक गेट को सही ढंग से नहीं देखा जिससे प्रत्येक हमलावर बाहर निकला, तो यह ऐसे गवाहों के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुमान लगाने का अच्छा कारण नहीं है।

1.6. यदि कोई जांच अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रावधानों से अनभिज्ञ, बयान में संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय में गवाहों की गवाही दूषित या विवादास्पद हो जाएगी। न्यायालय केवल गवाह को आश्वस्त करेगा कि वह ऐसे बयान से बाध्य नहीं है, भले ही उस पर उसके हस्ताक्षर हों । धारा 162 की उपधारा (1) में निहित निषेध साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आच्छादित किसी भी लेख की बरामदगी के लिए जब्ती मेमो तैयार करते समय जांच अधिकारी किसी आरोपी के किसी भी बयान में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन, यदि किसी जांच अधिकारी द्वारा कोई हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है, तो इसमें कुछ भी गलत या अवैध नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब्ती मेमो में आरोपियों के हस्ताक्षर कुल्हाड़ियों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य को अमान्य कर देंगे।

तेहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर (1959) एससी 1012 और *रज़ीक राम बनाम जे.एस. चौहान*, एआईआर (1975) एससी 667 पर निर्भर किया गया।

आपराधिक अपीलीय न्यायक्षेत्र: आपराधिक अपील संख्या 431/1991

डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 125/1989 में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25.2.91 के निर्णय और आदेश से

डूंगर सिंह, सुशील अरुणेश्वर गुप्ता और श्रीलोक नाथ रथ अपीलकर्ता के लिए।

कुमार जैन और उमेश कुमार बोरे प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति थॉमस द्वारा – यह एक मध्यरात्रि के हमले में था कि एक आवास गृह के दो सोते हुए निवासियों को सशस्त्र हमलावरों ने कुल्हाड़ी मारकर मार डाला था। पीड़ितों में से एक दूसरे पीड़ित की बूढ़ी मां थी। उनमें से छोटा भाई हमलावरों का निशाना नहीं था, लेकिन उसे उसके भाई के लिए गलती से मार दिया गया था। सत्र न्यायालय में उपरोक्त दोहरे हत्याकांड प्रकरण में सात व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में मुकदमे के लिए खड़ा किया गया था। उनमें से छह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के साथ पढ़ी जाने वाली और कुछ अन्य छोटे लेकिन संबद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें मुख्य अपराध के लिए आजीवन कारावास और छोटे अपराधों के लिए कम सजा की सजा सुनाई गई थी। जब उन्होंने अपील की तो राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और उन सभी को बरी कर दिया। इसलिए, राजस्थान राज्य विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील में आया है।

चूंकि इस मामले में सात अभियुक्त थे, जिनमें से छह अब प्रत्यार्थी हैं, इसलिए उन्हें उसी क्रम में अभियुक्त के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जैसा कि उन्हें विचारण न्यायालय में पेश किया गया था ताकि उनकी पहचान में संभावित गलती को रोका जा सके। ए 1 तेजा राम, ए 2 राम लाल और ए 3 भंवर लाल एक मगन राम के पुत्र हैं और वे मृतक राम लाल के चचेरे भाई हैं। अन्य अभियुक्त उन दो अभियुक्तों के करीबी रिश्तेदार हैं। मामले की पृष्ठभूमि जमीनी संपत्तियों को लेकर विवाद के कारण चचेरे भाइयों के बीच मौजूद निरंतर शत्रुता की कहानी सामने आती है। पीडब्लू15 मोता राम (मृतक श्रीमती गमनी के पुत्र) ने ए 1 और ए 2 के खिलाफ मुकदमा चलाया था। उनके द्वारा किए गए एक प्रस्ताव पर संबंधित अधिकारियों ने ए 1 तेजा राम और ए 2 राम लाल के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही शुरू की है। इस प्रकार, वे एक दूसरे को कटुता से देखते थे।

घटना उस रात की अगली सुबह हुई, जो रविवार (13.9.1981) थी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सभी सात आरोपी, कुल्हाड़ी और लाठी आदि से लैस होकर एक ट्रैक्टर में सवार होकर गए और बाद में वे पैदल चलकर आधी रात तक मृतक के घर पहुंचे।

मृतक राम लाल और उनकी मां गमनी अपने घर के गेट से लगे कमरे में सो रहे थे। मोता राम उस जगह सोते थे लेकिन उस रात राम लाल ने वहां सोना सुविधाजनक समझा क्योंकि यह उनके भाग्य का क्रूर खेल था हमलावर कमरे में घुसे और दोनों मृतकों को कुल्हाड़ी से काट डाला। पीड़ितों की चीख–पुकार से मोहल्ला गूंज उठा। जिन्होंने भी सुना वह घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन जब तक वे पहुंचे हमलावर भाग चुके थे। घर के अन्य सदस्य घायलों को वाहन में अस्पताल ले गए और रास्ते में मोता राम (पीडब्लू15) ने औवा पुलिस चौकी पर पुलिस को घटना की सूचना दी। वहां से वह खारची थाना गया और एफआईआर दर्ज कराई। एसएचओ (पीडब्लू21) ने दोनों घायलों का बयान दर्ज किया जिन्हें उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। राम लाल की उसी रात मृत्यु हो गई, जबकि उसकी मां एक सप्ताह तक मौत से जूझती रही और वह भी 21.9.1981 को चोटों के कारण दम तोड़ गई।

विचारण न्यायालय ने छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए मुख्य रूप से एक्स.पी. 31 और एक्स.पी. 32 पर भरोसा किया जो मृतक राम लाल और गमनी द्वारा दर्ज किए गए दो मरणासन्न बयान हैं, जो जांच अधिकारी पीडब्लू21 द्वारा दर्ज किए गए थे। उपरोक्त के अलावा, विचारण न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों पर भरोसा किया,

जैसे कि उन गवाहों की गवाही जो घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्तों को कुल्हाड़ी और लाठी लेकर भागते हुए देखा, और अभियुक्तों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बरामद हथियारों की बरामदगी ।

लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दो मरणासन्न बयानों पर कार्य करने से इनकार कर दिया। अभियुक्तों को कुल्हाड़ी और लाठी लेकर भागते हुए देखने का दावा करने वाले गवाहों पर भरोसा करने के लिए उच्च न्यायालय को मना नहीं सका । उच्च न्यायालय ने उस पाठ्यक्रम को अपनाने के दो कारण बताए। पहला यह है कि अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच करने में विफल रहा, भले ही ऐसे व्यक्ति पड़ोस में रह रहे थे, और अभियोजन पक्ष द्वारा उस बिंदु के लिए जांच किए गए गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं। दूसरा यह है कि उनके संस्करणों में विसंगतियां हैं और ऐसी विसंगतियां पर्याप्त प्रकृति की हैं। उच्च न्यायालय ने मुख्य कारण से कुल्हाड़ियों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य पर कार्य करने से इनकार कर दिया कि चूंकि उनमें से केवल एक पर ही मानव रक्त का पता लगाया जा सका था, जबकि दूसरे पर रक्त की उत्पत्ति स्थापित नहीं हुई थी, इसलिए इस बात पर संदेह करने की गुंजाइश थी कि वास्तविक व्यक्ति जिसका कुल्हाड़ी से प्रहार चोट का कारण बना होगा।

अंत में, खंडपीठ ने यह कहते हुए कि "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में दो ठंडे खून वाले हत्यारों को सजा नहीं हो रही है," अपनी अस्वीकृति व्यक्त की कि दोषसिद्धि को बनाए रखना असुरक्षित है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को दी गई सजा और सजा को रद्द कर दिया।

हालांकि बचाव पक्ष की ओर से कई गवाहों की जांच की गई थी, लेकिन न तो विचारण न्यायालय और न ही अपीलीय न्यायालय ने उनमें से किसी पर भरोसा किया। प्रतिवादियों ने हमें यह समझाने का कोई प्रयास नहीं किया कि वे गवाह बचाव के लिए किसी भी तरह से उपयोगी हैं।

राजस्थान राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कुछ तुच्छ कारणों से सर्वोत्तम साक्ष्य को त्यागने में पूरी तरह से अस्थिर है। आरोपियों के लिए अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने उच्च न्यायालय के तर्क का समर्थन करते हुए और बरी को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से अपील करते हुए विस्तार से बहस की।

हम श्री डूंगर सिंह के इस तर्क से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय को दो मरणासन्न बयानों पर कार्य न करने में उचित ठहराया गया था। पीडब्लू9 डॉ. नंद किशोर शर्मा द्वारा नोट किए गए अनुसार रामलाल के शरीर पर पाए गए घाव निम्नलिखित हैं:

(i) दाहिनी माथे की हड्डी पर आंखों की भौंहों से ऊपर की ओर लेसरयुक्त मस्तिष्क के ऊतकों को बाहर निकालते हुए 8.5 x 1.5 सेमी मस्तिष्क की गहराई तक खून बहने वाला ऊर्ध्वाधर कटा हुआ घाव चोट गंभीर थी और तेज धार वाली वस्तु से लगी थी।

(ii) दाहिनी आंख की दोनों पलकों का हेमेटोमा ।

(iii) बाएं ऊपरी पलक पर रक्तगुच्छ |

उसी डॉक्टर ने श्रीमती के शरीर पर निम्नलिखित चोट देखी मज़ा:

> "बाएं कान के ऊपर 3 सेमी की दूरी पर बाएं लौकिक क्षेत्र पर 8.5 x 3.0 x मस्तिष्क गहरी खड़ी चीरा वाली घाव जिसमें से खून बह रहा है। घाव से मस्तिष्क का ऊतक बाहर निकला हुआ है।"

यहां तक कि अगर घायल उपरोक्त चोटें लगने के बाद कुछ बड़बड़ा पा रहा था या कुछ बोल भी पा रहा था, तो भी ऐसे बयानों पर कोई भरोसा करना बेहद असुरक्षित है क्योंकि मस्तिष्क की चोट के कारण घायल के मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होंगे।

लेकिन हमें बाकी परिस्थितियों को उतनी हल्के में नहीं लेना मुश्किल लगता जितनी आसानी से उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें कम कर दिया है। उन परिस्थितियों में से पहली अल तेजा राम और ए 2 राम लाल के लिए मजबूत मकसद है क्योंकि मोता राम के परिवार ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किया था। इससे पता चलता है कि दोनों गुटों के बीच किस तरह की तीखी दुश्मनी थी उस पहलू को निर्विवाद माना जाता है, हालांकि बचाव पक्ष का तर्क है कि उन्हें उस दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया था। निश्चित रूप से उस संभावना को आरोपियों के खिलाफ परिस्थिति के रूप दुश्मनी के पहलू को गिनने से पहले खारिज करना होगा । उस प्रयास के लिए न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों को देखना होगा।

पीडब्लू 13 (इडान), मोता राम के पिता, रात के समय अपने घर के अंदर सो रहे थे। मोता राम भी उसी कमरे में सो रहा था। गमनी और उसकी दूसरी बेटी राम लाल गेट के साथ वाले कमरे में सो रही थीं। पीडब्लू 13 ने अपने बयान में कहा कि रोने की आवाज सुनकर वे उठे और उस जगह की ओर दौड़े जहां से रोना आया था और वहां उन्होंने सभी आरोपियों को देखा, जिनमें उन्होंने ए1 तेजा राम और ए2 राम लाल को कुल्हाड़ी (कुल्हाड़ी) पकड़े हुए देखा। वे घटनास्थल से भागते हुए दिखाई दे रहे थे।

पीडब्लू18 (रूपा राम) जो कि पीडब्लू 13 (इडान) के भाई हैं, जो पड़ोस में स्थित अपने घर में सो रहे थे और उनके बेटे छोगा लाल (पी4) जो एक ट्रक के केबिन के अंदर सो रहे थे (जो मृतक के घर के सामने खड़ा था) ने भी रोने की आवाज सुनी और वे भी घटनास्थल की ओर दौड़े और देखा कि सभी आरोपी उस जगह से भाग रहे हैं और ए1 और ए2 के पास कुल्हाड़ी थी और अन्य के पास लाठी थी।

पीडब्लू10 (ओघाड़ राम) पीडब्लू13 (इडान) के एक अन्य भाई हैं और वह भी पास में ही रहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि आधी रात के करीब उन्होंने अपने भाई के घर से तेज आवाज में रोने की आवाज सुनी। पीडब्लू13–इडान और वह भी मौके पर पहुंचे और देखा कि आरोपी, जिनमें ए1 (तेजा राम) और ए2 (राम लाल) शामिल हैं, के पास कुल्हाड़ी थी।

यह तथ्य कि उपरोक्त गवाह तत्काल पड़ोस में रह रहे थे, न तो विचारण न्यायालय में और न ही अपीलीय चरण में विवादित था। जब इस प्रकार की घटना होती है तो सामान्य रूप से घटनास्थल पर दौड़ने वाले लोग पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने बहुत ही कमजोर तर्क देकर उन लोगों की गवाही पर ध्यान नहीं दिया जो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

हाईकोर्ट ने दो गवाहों के बीच साक्ष्य में विसंगति की ओर इशारा किया, पीडब्लू4 छोगालाल और पीडब्लू15 मोता राम ने कहा कि हमलावरों को घर के पश्चिमी गेट से बाहर जाते देखा गया, जबकि पीडब्लू10 ओघाड़ राम और पीडब्लू18 रूपा राम ने कहा कि हमलावर पूर्वी गेट से बाहर गए थे। हाईकोर्ट के अनुसार यह उनके बीच एक बहुत ही बड़ा अंतर्विरोध है।

इस तरह की मामूली विसंगति को एक पहाड़ के आकार तक उड़ाने और फिर इसे एक भौतिक विसंगति के रूप में चित्रित करके पूरे साक्ष्य को खारिज करने का बहुत कम औचित्य है। हाईकोर्ट ने उपरोक्त अभ्यास में जो अनदेखा किया वह साक्ष्य का मूल और व्यापक संभावनाओं पर उसके विचार–विमर्श है। हमें उस समय को ध्यान में रखना होगा जब घटना हुई थी–रात के अंधेरे में, सो रही बस्ती को अपने ही केथ और किन से मदद के लिए रोते हुए एक आवाज से जगाया गया था। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका ध्यान पीड़ितों और भागते हुए हमलावरों की पहचान पर होगा। शायद कुछ हमलावर एक गेट से बाहर गए होंगे और अन्य दूसरे गेट से । आखिर दोनों गेट एक ही घर के हैं और एक दूसरे के करीब हैं।

हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोई भी चीख़ या चिल्लाहट सुनकर मौके पर पहुंचा, उसके लिए यह बहुत कम संभावना है कि वह रोने की आवाज़ सुनने के बाद भी वहीं बना रहे। यह अत्यंत संभावित है कि गवाहों ने भागते हुए हमलावरों को ऐसी अफरातफरी में देखा होगा और यदि कुछ गवाहों ने सही ढंग से यह नहीं देखा कि प्रत्येक हमलावर किस गेट (दो गेटों में से) से बाहर आया, तो यह ऐसे गवाहों के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुमान निकालने का अच्छा कारण नहीं है।

एक और कारण जो हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी संख्या में संभावित गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए दिया है, यह है कि वे सभी मृतक के करीबी रिश्तेदार है और अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई थी। गवाहों के पीड़ितों से कोई संबंध नहीं होने पर अत्यधिक जोर देने से अक्सर आपराधिक न्याय समाप्त हो जाता है। जब किसी भी घर में कोई घटना होती है तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के सदस्य ही होंगे। ऐसे प्राकृतिक गवाहों की उपेक्षा करना और बाहरी लोगों पर जोर देना जो कुछ भी नहीं देखा होगा, अवास्तविक है। यदि न्यायालय ने साक्ष्य से या यहां तक कि जांच रिकॉर्ड से यह समझा है कि किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति ने इस घटना को जोड़ने वाली किसी घटना को देखा है, तो ऐसे व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में परीक्षा न करने के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने का औचित्य है। अन्यथा, केवल अनुमानों के आधार पर न्यायालय को अभियोजन पक्ष को अन्य व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में परीक्षा न करने के लिए नहीं फटकारना चाहिए अभियोजन पक्ष से केवल उन्हीं लोगों की जांच करने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने घटनाओं को देखा है, न कि उन लोगों से जिन्होंने इसे नहीं देखा है, हालांकि पडोस में अन्य निवासी भी हो सकते हैं। आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए विचारण न्यायालय ने जिन परिस्थितियों में से एक पर भरोसा किया, वह है ए1 तेजा राम और ए2 राम लाल के बयानों के आधार पर दो कुल्हाड़ियों की बरामदगी । उनका रासायनिक परीक्षण किया गया और परिणाम यह हुआ कि दोनों कुल्हाड़ियाँ खून से सना हुआ पाया गया। जब इसे आगे सीरोलॉजिस्ट द्वारा परीक्षण के अधीन किया गया तो एक कुल्हाड़ी पर खून मानव उत्पत्ति का पाया गया, जबकि दूसरी कुल्हाड़ी पर खून का धब्बा इतना बिखर गया कि उसका मूल पता नहीं चल पाया। एक्स.पी. 10 सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है।

लत्ता के नीचे छिपी कुल्हाड़ियों को आरोपियों से प्राप्त जानकारी की मदद से निकाला गया। पीडब्लू21 (जांच अधिकारी) के अनुसार, ए1 तेजा राम ने उनसे कहा, "मैंने कुल्हाड़ी को कुछ लत्ता के नीचे छिपा दिया है और इसे ढोकवा में अपने खेत में झोपड़ी के बाएं कोने में रखा है।" उसी के अनुसार 20.9.1981 को एक्स.पी. 14 जब्ती ज्ञापन के तहत बरामद कुल्हाड़ी को अनुच्छेद संख्या 8 के रूप में चिह्नित किया गया था। इसी तरह, पीडब्लू42 राम लाल ने जांच अधिकारी को बताया है कि "मैंने कुल्हाड़ी को कुछ लत्ता के नीचे छिपा दिया है और इसे अपने घर के स्टोर में एक स्लैब पर रख दिया है।" उक्त सूचना पर एक और कुल्हाड़ी 23.9.1981 को एक्स.पी. 3 जब्ती ज्ञापन के अनुसार बरामद की गई। उस कुल्हाड़ी को अनुच्छेद 1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

उपरोक्त कथनों और कुल्हाड़ियों की बरामदगी से पता चला है कि उन हथियारों को उक्त दो आरोपियों ने छिपाया था।

आमतौर पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन में उपरोक्त परिस्थिति को भारी विचार दिया जाना चाहिए था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे ऐसे तर्क पर आधारित किया जो संधार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने दो कुल्हाड़ियों (कुल्हाड़ी) की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य के संबंध में जो देखा है, वह यह है:

> "खून से सनी कुल्हाड़ी का साक्ष्य पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि मानव रक्त से सनी कुल्हाड़ी किसके पास से बरामद की गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि बरामद कुल्हाड़ी तेजा राम की थी या रामलाल की रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में एक और कमजोरी यह है कि इसमें कुल्हाड़ी पर दिखाई देने वाले रक्त की मात्रा का उल्लेख नहीं है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि कौन विशेष अभियुक्त, आपत्तिजनक कुल्हाड़ी से संबंधित है। इस प्रकार, इसका उपयोग इन दोनों अभियुक्तों में से किसी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।"

इस बीच सीरम के विघटन के कारण रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में सीरोलॉजिस्ट की विफलता का मतलब यह नहीं है कि कुल्हाड़ी पर लगा खून मानव रक्त नहीं होता। कभी–कभी ऐसा होता है, या तो इसलिए कि दाग बहुत छोटा है या हेमेटोलॉजिकल परिवर्तन और प्लाज्मा जमावट के कारण सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल हो सकता है। क्या तब इसका मतलब यह होगा कि रक्त किसी अन्य उत्पत्ति का होगा? ऐसा अनुमान कि दूसरी कुल्हाड़ी पर खून जानवरों का खून होता, इस मामले के व्यापक स्पेक्ट्रम में अवास्तविक और दूर की कौड़ी है। आपराधिक न्यायालय का प्रयास काल्पनिक शंकाओं के लिए प्रोत्साहित करना नहीं होना चाहिए। जब तक कि संदेह एक उचित आयाम का नहीं है, जिसे एक न्यायिक रूप से ईमानदार दिमाग कुछ निष्पक्षता के साथ रखता है, तब तक अभियुक्तों द्वारा कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है।

अभियुक्तों के लिए सीखा हुआ वकील ने उपरोक्त साक्ष्य को खारिज करने को बनाए रखने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने *प्रभु बाबाजी बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे*, एआईआर (1956) एससी 51 और *राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी*, एआईआर (1963) एससी 74 में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया। पूर्व में विवियन बोस जे ने कहा है कि रासायनिक परीक्षक का कर्तव्य यह है कि प्रत्येक प्रदर्शन पर उसके द्वारा पाए गए रक्त के धब्बों की संख्या और प्रत्येक धब्बे की सीमा इंगित करें, जब तक कि वे बहुत छोटे या बहुत अधिक न हों,

जिनका विस्तार से वर्णन किया जा सके। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक परिस्थिति धोती पर खून का सिर्फ एक धब्बा था। उनके लॉर्डशिप्स ने महसूस किया कि "खून उसी तरह से एक पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति की धोती पर फैल सकता था, जो हमारे द्वारा पहले फैसले में वर्णित परिस्थितियों में से गुजर रहा था।" बाद के फैसले में इस न्यायालय ने रासायनिक परीक्षक के प्रमाण पत्र के संबंध में यह देखा कि चूंकि रक्त के धब्बे का मानव उत्पत्ति का होना सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इस परिस्थिति का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। "परिस्थितियों में", अभियुक्त को हत्या से जोड़ना। उस मामले में परिस्थिति का अगला हिस्सा दिखाता है कि एक सूखी सफाई प्रतिष्ठान से एक शर्ट जब्त की गई थी और उक्त प्रतिष्ठान के मालिक ने गवाही दी थी कि जब शर्ट उसे सूखी सफाई के लिए दी गई थी तो उस पर खून का धब्बा नहीं था ।

हम उपरोक्त निर्णयों से कोई कानूनी अनुपात नहीं खोज पाए कि सभी मामलों में जहां रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफलता हुई, वहां से हथियार की बरामदगी से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति अनुपयोगी हो जाएगी। उपरोक्त मामलों में टिप्पणियां उसमें मौजूद तथ्य स्थिति पर की गई थीं। उन्हें ऐसे मामले में आयात नहीं किया जा सकता है जहां तथ्य भौतिक रूप से भिन्न हों।

विद्वान वकील ने इस संदर्भ में हमारा ध्यान एक कदम की ओर आकर्षित किया, जो पीडब्लू21 (जांच अधिकारी) ने जब्ती ज्ञापन एक्स.पी. 3 और एक्स.पी. 4 तैयार करते समय अपनाया था। उसने दोनों जब्ती ज्ञापनों में संबंधित अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त किए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जांच अधिकारी की उपरोक्त कार्रवाई अवैध थी और इसने जब्ती को खराब कर दिया है। उन्होंने हमारा ध्यान संहिता की धारा 162(1) की ओर आकर्षित किया जो पूछताछ के दौरान लिखित रूप में बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर एकत्रित करने पर रोक लगाती है। उप धारा में महत्वपूर्ण शब्द ये हैं:

> "अध्याय के तहत जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी व्यक्ति के बयान पर, यदि लिखित रूप में घटाया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा;"

इसमें कोई शक नहीं कि उपरोक्त निषेध पूर्व निर्धारित शब्दों में है। यह न्यायालय से अधिक जांच अधिकारी को निर्देश है क्योंकि नियम के अंतर्गत नीति गवाहों को न्यायालय में बिना किसी बाधा के गवाही देने के लिए स्वतंत्र रखना है, जो पुलिस उनसे निकालने का दावा करती है। (*तहसीलदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी*, एआईआर (1959) एससी 1012 और *रज़िक राम बनाम जेएस चौहान*, एआईआर (1975) एससी 667। लेकिन अगर कोई जांच अधिकारी, उक्त प्रावधान से अनभिज्ञ, बयान में संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय में गवाह की गवाही दूषित या विकृत हो जाएगी। न्यायालय केवल गवाह को आश्वस्त करेगी कि वह इस तरह के बयान से बंधा नहीं है, भले ही उसके हस्ताक्षर उस पर मिलें।

उसके अलावा, धारा 162 की उप–धारा (1) में निहित निषेध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार किए गए किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होता है यह धारा 162 की उप–धारा (2) में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है जो इस प्रकार पढ़ता है:

"इस धारा में किसी भी चीज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं माना जाएगा, या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।"

परिणामी स्थिति यह है कि जांच अधिकारी किसी भी लेख की बरामदगी के लिए जब्ती ज्ञापन तैयार करते समय आरोपी के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आता है। लेकिन, यदि किसी जांच अधिकारी द्वारा कोई हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है, तो इसमें कुछ भी गलत या अवैध नहीं है। इसलिए, हम अभियुक्तों के लिए विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में कोई बल नहीं पाते हैं कि एक्स.पी. 3 और पी 4 जब्ती ज्ञापन में अभियुक्तों के हस्ताक्षर कुल्हाड़ियों की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य को कमजोर कर देंगे।

प्रत्यार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अउवा में पुलिस चौकी के प्रभारी हेड कांस्टेबल जगन नाथ (पीडब्लू8) के साक्ष्य की ओर इशारा किया। गवाह ने अपने साक्ष्य में शुरू में कहा कि पीडब्लू15 (मोटा राम जो घटना के तुरंत बाद चौकी पहुंचे) ने घटना की सूचना दी थी, हमलावरों के नाम नहीं बता सके क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें हमलावरों के बारे में पता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त साक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियोजन पक्ष के मामले को झटका देता है। राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने हमारा ध्यान पीडब्लू8 के साक्ष्य के एक और हिस्से की ओर आकर्षित किया जहां सार्वजनिक अभियोजक द्वारा जिरह के दौरान गवाह को यह स्वीकार करने की अनुमति दी गई कि उसने जांच अधिकारी को बताया था कि पीडब्लू15 ने वास्तव में हमलावरों के रूप में अभियुक्तों के नाम बताए थे।

गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के अनुमत तरीकों में से एक पूर्व बयानों का प्रमाण है जो उसकी गवाही के किसी भी हिस्से के साथ असंगत है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 (3) में इंगित किया गया है। लेकिन गवाह का विरोधाभास करने के उद्देश्य से इस तरह के पूर्व बयानों का उपयोग करने की विधि साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित की गई है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि बचाव के लिए पीडब्लू8 (मोटा राम) के सामने खड़ा करने के लिए उपरोक्त पूर्व बयान उपलब्ध नहीं था क्योंकि हेड कांस्टेबल पीडब्लू15 की बाद में जांच की गई थी। बचाव के लिए गवाह को वापस बुलाने का अनुरोध करना खुला था ताकि उसके बाद के हिस्से में आने वाले कथित पूर्व बयान के आधार पर उसकी सत्यता को प्रभावित करने के लिए आगे की जिरह की जा सके (देखें नबा कुमार दास बनाम रुद्र नारायण जाना, ए.आई.आर. (1923) पी.सी. 95। इस मामले में पीडब्लू15 से यह नहीं पूछा गया कि उसने पीडब्लू8– हेड कांस्टेबल को क्या बताया या नहीं बताया। हम उस स्कोर पर विद्वान अधिवक्ता की दलील की परिशीलन करने में असमर्थ हैं। जिरह के बाद के हिस्से के दौरान पीडब्लू15 द्वारा की गई वापसी के मद्देनजर हम अभियुक्तों को उस सामग्री के साथ पीडब्लू8 का सामना करने का कोई और अवसर देने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

हमारा यह माना हुआ विचार है कि उच्च न्यायालय ने अ 1 तेजा राम और अ 2 राम लाल के विरुद्ध अत्यंत मजबूत परिस्थितियों को अस्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसका संचयी प्रभाव यह था कि वे उस दोहरे हत्याकांड में हमलावर थे जिसमें मृतक राम लाल और उनकी मां गामनी की हत्या कर दी गई थी।

इसलिए, हम जहां तक उक्त दो अभियुक्तों (तेजा राम और राम लाल) का संबंध है, बरी करने के आदेश को रद्द करते हैं। हम विचारण न्यायालय द्वारा उन पर पारित सजा और सजा को बहाल करते हैं। हम सेशन न्यायमूर्ति, पाली (राजस्थान) को निर्देश देते हैं कि वे अ 1 तेजा राम और अ 2 राम लाल को सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए जेल में वापस डालने के लिए तत्काल कदम उठाए।

एन.जे. अपील स्वीकृत।

विक्रांत ठाकुर की देखरेख में सुमीत कपूर द्वारा अनुवादित।